न्यायालय संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. श्रीमती प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी संख्या :– 2/2023

जी.सी.एम.एस नंबर :– 2023/205

प्रार्थीगण :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. संजय कुमार पुत्र श्री पुनमचन्द जाति खण्डेलवाल उम्र 44 वर्ष निवासी खेडावास, पुलिस थाना के पिछे तखतगढ़ तहसील सुमेरपुर जिला पाली		1. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका तखतगढ तहसील सुमेरपुर जिला पाली 2. मीठालाल पुत्र चौथाराम जाति जोशी निवासी सुथारो की गली, तखतगढ़ तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

निगरानी अन्तर्गत धारा 73, 327 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 बरखिलाफ आदेश दिनांक 31.01.2020 व उसके अनुसरण में दिनांक 18.02.2020 को जारी अनुज्ञा पत्र क्रमांक एफ 08/भूमि/2019/3683

उपस्थिति :–

1. श्री महेन्द्र व्यास, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री इन्दर सिंह, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 1
3. श्री मनीष राजपुरोहित, भैराराम विद्वान अधिवक्तागण, रेस्पोडेण्ट संख्या 2

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

:: **निर्णय** ::

दिनांक:– 24 जुलाई, 2024

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 31.01.2020 तथा अनुज्ञा–पत्र क्रमांक : एफ.08/भूमि/2019/3683 दिनांक 18.02.2020 के द्वारा आवंटित भूखण्ड मोहल्ला खेडावास तखतगढ़ में प्रवेश करने व भवन निर्माण के लिये आंवटन करने से व्यथित होकर प्रार्थीगण यह निगरानी न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका तख्तगढ को आम रास्ते की भूमि के सन्दर्भ मे आवन्टन पत्र जारी करने का कोई अधिकारिता नहीं होने के कारण आदेश व आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथ[illegible] कि कस्बा तख्तगढ़ के खेडावास में प्रार्थी का पुश्तैनी आवासीय [illegible] हुआ है:–उत्तर में सरेमल पुत्र दानाजी का मकान, दक्षिण में आम [illegible], पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में आम रास्ता है। उक्त पडौसियान के मध्य स्थि[illegible] मकान का पट्टा संख्[illegible] दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.08.12 17:53:45 IST
Reason: SelfAttested

संभागीय आयुक्त,
पाली

27.04.1964 को तत्कालीन ग्राम पंचायत तखतगढ़ द्वारा प्रार्थी के स्वर्गीय पिता श्री पुनमचन्द के पक्ष में जारी किया गया था। उसके बाद उक्त भूखण्ड के दक्षिण में स्थित 11 बाई 80 फिट भू–पट्टी का विक्रय विलेख संख्या 253 दिनांक 05.01.1988 को नगर पालिका तखतगढ़ द्वारा प्रार्थी के पिता स्वर्गीय पुनमचन्द के नाम निष्पादित कर पंजीयन करवाया गया था, जिसमे उक्त भू पट्टी के दक्षिण में आम रास्ता होना दर्शाया गया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि वर्ष 2014 में प्रार्थी के उक्त पुश्तैनी मकान के पश्चिम में स्थित आम रास्ते व खुली भूमि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा गैर कानुनी रूप से बेचान/हस्तान्तरण करने पर आमादा होने पर प्रार्थी व उसके भाई गिरधारीलाल द्वारा वाद प्रस्तुत करने पर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सुमेरपुर द्वारा दिवानी मूल वाद संख्या 117/2017 (7/2014) उनवान गिरधारीलाल व अन्य बनाम अध्यक्ष नगर पालिका बोर्ड तखतगढ़ व अन्य मे दिनांक 01.12.2018 को निर्णय व डिक्री पारित कर प्रार्थी के मकान के पश्चिम दिशा में दर्शित भूमि पर प्रार्थी को रास्ते व हवा रोशनी का सुखाधिकार प्राप्त होने की घोषणा करते हुये उक्त भूमि हमेशा खुला रखने हेतु अप्रार्थी संख्या एक को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया गया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा दिनांक 12.09.2019 को अप्रार्थी संख्या एक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2015 द्वारा सम्मानित होने के आधार पर आरक्षित दर पर भूखण्ड आवन्टित करने का आवेदन प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या एक द्वारा दिनांक 31.01.2020 को आदेश पारित करने पर नियमानुसार राशि जमा होने पर दिनांक 18.02.2020 को अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में प्रार्थी के मकान के दक्षिण में स्थित आम रास्ते की भूमि पर 30 बाई 60 फिट भूमि का आवंटन पत्र जारी किया गया है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका तख्तगढ द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में आवंटन पत्र जारी किये जाने के पूर्व जो आपत्ति आमन्त्रण सूचना पाली पत्रिका के दिनांक 19.01.2020 में प्रकाशित करवाई गई थी, उसमें मौहल्ला खेडावास के किस पड़ौस के मध्य उक्त भूखण्ड आवन्टित किया जायेगा, उसका उल्लेख बदनियतिपूर्वक नहीं किया गया था। जिस कारण उक्त आवंटन के सम्बन्ध में प्रार्थी अपनी आपति प्रस्तुत नही कर सका था, अगर उक्त सुचना में भूखण्ड के पडौस खोले जाते तो प्रार्थी द्वारा अवश्य आपत्ति प्रस्तुत की जाती, जिस कारण उक्त आपत्ति आमन्त्रण सूचना अपूर्ण होने के कारण आदेश व आवंटन अन्तर्गत निगरानी काबिल निरस्त होने योग्य है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि नगर पालिका तखतगढ़ द्वारा प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 05.01.1988 को भू–पट्टी का विक्रय विलेख निष्पादित व पंजीयन कराते समय विक्रय विलेख मे उक्त भू–पट्टी के दक्षिण में आम रास्ता होने का उल्लेख किया गया है, जिस कारण अप्रार्थी संख्या एक प्रार्थी के भूखण्ड के दक्षिण में आम रास्ते की भूमि नही होने का कथन किया गया। [illegible] आम रास्ते की भूमि के सम्बन्ध में नगरपालिका उसकी ट्रस्टी होने के कारण उसे [illegible] आम रास्ते की भूमि को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं होने के कारण [illegible] आवंटन अन्तर्गत निगरानी

संभागीय आयुक्त,
पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.08.12 17:53:45 IST
Reason: SelfAttested

मनमाना अनुचित व विधि के मान्य सिद्वान्तो के विपरित होने के कारण काबिल निरस्त होने योग्य है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सुमेरपुर द्वारा अपने निर्णय व डिक्री मे प्रार्थी के मकान दक्षिण व पश्चिम में आम रास्ते की भूमि होना तथा नगर पालिका तखतगढ द्वारा जारी प्रदर्श दो विक्रय विलेख दिनांक 05.01.1988 से अप्रार्थी संख्या एक विबन्धित होना माना है तथा मकान के दक्षिण व पश्चिम में सुखाधिकार उत्पन्न होना भी माना है, जिस कारण उक्त निर्णय से अप्रार्थी सख्या एक पाबन्द होने के कारण भी आदेश व आवंटन अन्तर्गत निगरानी काबिल निरस्त होने योग्य है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 कि धारा 68 के अनुसार रास्ते की भूमि न्यासी के रूप में धारित तथा उपयोजित की जायेगी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 कि धारा 73 के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका, विहित निर्बनधनों शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, अपनी किसी जंगम या स्थावर सम्पति को, जिसमें नगरपालिका भूमि या कोई सरकारी भूमि भी सम्मिलित है, पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, आबंटित करने या अन्यथा अंतरित करने और जहां तक इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धो और प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे, करने या उनका पालन करने के लिए सक्षम होगी। इस संबंध में स्पष्टीकरण (ग) में जो राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका के व्ययनाधीन रखी जाये। रास्ते की भूमि का आवंटन नही किया जा सकता है इस संबंध में माननीय न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर(राज.) 1982 पेज नंबर 281 प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि विलम्ब के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण एम.आई.एस अपील संख्या 21/2022 में अभिनिर्णित किया गया है "it is directed that the period form 15.03.2020 till 28.02.2022 shall stand excluded for the purposes of limitation as may be prescribed under any general or special laws in respect of of judicial or quasijudicail proceedings." विचाराधीन निगरानी प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.01.2022 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश में वर्णित अवधि के अंदर निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने से अपील मयाद अंदर होने से निगरानी प्रार्थना–पत्र के साथ अलग से मियाद प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नही किया गया। अतः अधीनस्थ कार्यालय द्वारा दिनांक 31.01.2020 को नियमानुसार राशि जमा करने का आदेश तथा अनुज्ञा–पत्र क्रमांक : एफ.08/भूमि/2019/3683 दिनांक 18.02.2020 को निरस्त करने का निर्णय पारित करे।

5. अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के द्वौरान कथन किया कि संयुक्त शासन सचिव (तृतीय) नगरीय विकास विभाग राज. जयपुर के पत्रांक प.3(839) नविवि/3/2013 दिनांक 23.08.2013 के द्वारा राष्ट्रपति महोदय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों को आरक्षित दर पर भूखण्ड 200 वर्गगज तक का राजस्थान में कही भी आवंटित करने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के तहत अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.08.12 17:53:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

संभागीय आयुक्त,
पाली

संख्या 2 द्वारा आवेदन करने पर आवेदन की जांच तथा बाद जांच अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में कार्यालय नगरपालिका मण्डल, तखतगढ के क्रमांक एफ.08/भूमि/2019/3683 दिनांक 18.02.2020 के द्वारा आवंटित भूखण्ड मोहल्ला खेडावास तखतगढ में प्रवेश करने व भवन निर्माण के लिये अनुज्ञा–पत्र जारी किया गया। उक्त अनुज्ञा–पत्र नियमानुसार जारी होने से प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाये।

6. अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के द्वौरान निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 मीठालाल जोशी दिनांक 12.09.2019 को श्रीमान अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका तखतगढ में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2015 से मुझे सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। संयुक्त शासन सचिव (तृतीय) नगरीय विकास विभाग राज. जयपुर के पत्रांक प.3(839) नविवि/3/2013 दिनांक 23.08.2013 के द्वारा राष्ट्रपति महोदय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षको को आरक्षित दर पर भूखण्ड 200 वर्गगज तक का राजस्थान में कही भी आवंटित करने का प्रावधान है।

अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि पालिका क्षेत्र में खेडावास में 30 बाई 60 बराबर 1800 वर्गफीट भूखण्ड आरक्षित दर पर अप्रार्थी संख्या 2 को आवंटन करने हेतु अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका तखतगढ द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2020 को राष्टीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के पृष्ठ संख्या 11 पर आपत्ति आमंत्रण सूचना प्रकाशित करवाई गई। उक्त दिवस तक किसी व्यक्ति विशेष आम खास की अन्दर मयाद व कोई आपत्ति अधिनस्थ कार्यालय को प्राप्त नही हुई। आपत्ति प्रकाशन के बाद दिनांक 03.02.2020 को नगरपालिका प्रशासन ने खेडावास भूखण्ड की आरक्षित कर 7,25,600/– नगर पालिका कोष में जमा कराने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 दूरभाष पर जानकारी दी गई। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा बुक नंबर 183 रसीद संख्या 64 के द्वारा 2,50,000/– तथा बुक नंबर 183 रसीद संख्या 80 के द्वारा 4,75,600/– जमा करवाये। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा राजकोष में कुल 725600/– जमा करवाये। इस प्रकार संयुक्त शासन सचिव तृतीय महोदय, नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक/प.3(839) नविवि/3/2013 दिनांक 23.0.2013 के द्वारा श्री महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कर्मचारियों को आरक्षित दर पर भूखण्ड दिया जाने का प्रावधान होने से अधिशाषी अधिकारी के क्रमांक एफ.08/भूमि/2019/ 3683 दिनांक 18.02.2020 के द्वारा आवंटित भूखण्ड मोहल्ला खेडावास तखतगढ में प्रवेश करने व भवन निर्माण के लिये अनुज्ञा–पत्र अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि भूखण्ड सुपुर्दगी पश्चात् दिनांक 18.09.2020 को भूखण्ड के चारो कोनो में पिलर व भूखण्ड में 10 टोली मिट्टी समतल कार्य करवाया है। अप्रार्थी संख्या 1 से निर्माण कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने पर वर्तमान में उक्त भूखण्ड में निर्माण कार्य किया जा रहा है।

अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में मौहल्ला खेडावास [illegible] बाई 60 वर्गफीट का आवंटन नियमानुसार किया गया है, नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आपत्ति हेतु राष्ट्रीय

संभागीय आयुक्त,
पाली

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.08.12 17:53:45 IST
Reason: SelfAttested

समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया गया था। किसी भी व्यक्ति ने उक्त प्रकाशन के बाद आपत्ति दर्ज नही करने से उक्त भूखण्ड का आवंटन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, सुमेरपुर के सिविल मूल वाद संख्या 117/2017 उनवान गिरधारीलाल वगैरह बनाम अध्यक्ष नगर पालिका बोर्ड, तखतगढ वगैरह निर्णय दिनांक 1.12.2018 में माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया गया कि वादीगण के भूखण्ड के पश्चिम दिशा में दर्शित रास्ते की भूमि पर वादीगण को रास्ते व हवा रोशनी का सुखाधिकार प्राप्त है। अप्रार्थी संख्या 2 को मौहल्ला खेडावास तखतगढ में भूखण्ड नाप 30 बाई 60 वर्गफीट का आवंटन संजय कुमार अपीलाण्ट के दक्षिण दिशा में खाली पडी नगर पालिका की भूमि पर आवंटित किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाई जावे।

7. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि यह निगरानी प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में कार्यालय नगरपालिका मण्डल, तखतगढ के क्रमांक एफ.08/भूमि/2019/ 3683 दिनांक 18.02.2020 के द्वारा आवंटित भूखण्ड मोहल्ला खेडावास तखतगढ में प्रवेश करने व भवन निर्माण के लिये अनुज्ञा–पत्र के विरूद्ध प्रस्तुत की गई की गई है।

प्रार्थी द्वारा माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, सुमेरपुर में सिविल वाद प्रस्तुत किया गया था, जो सिविल वाद संख्या 117/2017 उनवान गिरधीलाल वगैरह बनाम अध्यक्ष नगर, पालिका बोर्ड, तखतगढ निर्णय दिनांक 01.12.2018 को पारित किया गया। माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, सुमेरपुर ने वादीगण गिरधारीलाल वगैरह का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अध्यक्ष, नगरपालिका तखतगढ वगैरह में वादीगण के भूखण्ड के पश्चिम दिशा में दर्शित रास्ते की भूमि पर वादीगण को रास्ते व हवा रोशनी का सुखाधिकार प्राप्त होने की घोषणा व वादीगण के भूखण्ड के पश्चिम दिशा में आम रास्ते की भूमि को हमेशा खुला रखने हेतु वादीगण के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी की गई। इस प्रकार निगरानी कर्ता श्री संजय कुमार के पुश्तैनी मकान के पश्चिम दिशा में माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, सुमेरपुर द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 को हमेशा खुला रखने हेतु रखने हेतु पाबंद किया गया था।

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

निगरानी कर्ता का मुख्य तर्क यह है कि श्री मीठालाल जोशी पुत्र चौथाराम जाति जोशी को 30 बाई 40 वर्गफीट भूखण्ड मौहल्ला खेडावास तखतगढ में रास्ते की भूमि पर आवंटित किया गया है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण यह सिद्ध नही कर पाये की यह भूमि रास्ते की भूमि नही होकर नगर पालिका तखतगढ की भूमि होने से यह भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 1 को भूखण्ड आवंटित किया गया है।

पत्रावली पर यह स्वीकृत तथ्य है कि अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में कार्यालय नगरपालिका मण्डल, तखतगढ के क्रमांक एफ.08/भूमि/2019/ 3683 दिनांक 18.02.2020 के द्वारा आवंटित भूखण्ड मोहल्ला खेडावास तखतगढ में प्रवेश करने व भवन निर्माण के लिये अनुज्ञा–पत्र [illegible] द्वारा पंजीबद्ध दस्तावेज भी नही हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.08.12 17:53:45 IST
Reason: SelfAttested

संभागीय आयुक्त,
पाली

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है, उसमें सिर्फ मोहल्ला खेडावास लिखा है इससे यह स्पष्ट नही होता है कि यह विज्ञप्ति विवादित भूमि के विषय में ही है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस यह तर्क भी दिया है कि विवादित भूमि आम रास्ते की भूमि है तथा नगर पालिका अधिनियम की धारा 68 के प्रावधान के अनुसार नगर पालिका आम रास्ते की भूमि का ट्रस्टी है, उसे आम रास्ते की भूमि के आवंटन का अधिकार नही है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस यह भी तर्क दिया है कि माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, सुमेरपुर में सिविल वाद संख्या 117/2017 उनवान गिरधीलाल वगैरह बनाम अध्यक्ष नगर, पालिका बोर्ड, तखतगढ निर्णय दिनांक 01.12.2018 में यह अंकित किया है कि प्रश्नगत भूमि रास्ते की भूमि है तथा उसका आवंटन किया गया है, वह गलत है।

दौराने बहस रेस्पोडेण्ट्स संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता नगर पालिका का यह भी कथन है कि प्रश्नगत भूमि पश्चिम दिशा वाली भूमि नही है जबकि अपीलाण्ट का कहना है कि विवादित भूमि पश्चिम दिशा की भूमि है। रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 द्वारा उक्त भूमि का दक्षिण दिशा की भूमि होना बताया गया है इस प्रकार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुये रिकॉर्डस् एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस से उपरोक्त विवेचन में वर्णित बिन्दुओं की स्थति स्पष्ट नही होती है। अतः उपरोक्त वर्णित विवेचन के अनुसार यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ कार्यालय ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यो का अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में अनुज्ञा–पत्र जारी करने से पहले कोई स्पष्ट विवेचन नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ कार्यालय का अनुज्ञा–पत्र यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी प्रार्थी की आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है तथा अधीनस्थ कार्यालय नगरपालिका, तखतगढ़ (पाली) राजस्थान के क्रमांक एफ. 08/भूमि/2019/ 3683 दिनांक 18.02.2020 के द्वारा जारी अनुज्ञा–पत्र को अपास्त किया जाता हैं। कार्यालय नगरपालिका, तखतगढ़ (पाली) को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थी को साक्ष्य, सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये उपरोक्तानुसार वर्णित विवरण के विषय में स्पष्ट विवेचन करते हुये विधि सम्मत कार्यवाही करे। अधीनस्थ कार्यालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

संभागीय आयुक्त,
पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.08.12 17:53:45 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 24 [illegible] द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
पाली